GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF ADDL. CHIEF SECRETARY, MEDICAL, HEALTH & FAMILY WELFARE

क्रमांकःपीएस/एसीएस/एमएण्डएच/2020/62 दिनांकः 06.03.2020

परिपत्र

जैसा कि आपको विदित है कि भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रकोप तेजी से बढ रहा है एवं वर्तमान में राजस्थान राज्य में भी COVID-19 के 02 केस पाये गये है। उक्त बढते हुए प्रकोप की रोकथाम हेतु राज्य में विभिन्न गतिविधियां युद्ध स्तर पर संचालित की जा रही है।

आपके अधीन कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया जा रहा है जो कि COVID-19 के प्रसार का कारक हो सकता है। साथ ही रोकथाम हेतु आवश्यक है कि समस्त राजकीय कार्यालयों (ग्रामीण/शहरी) में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट (1% Hypochlorite) के द्वारा दरवाजों/कुर्सियों/अलमारियों के हत्थों, मेज, सीढियों की रैलिंग, फर्श एवं अन्य संभावित मुख्य रूप से स्पर्श में आने वाली वस्तुओं/उपकरणों आदि पर दैनिक रूप से पोंछा (Mopping) लगवाते हुए विसंक्रमित (Disinfection) किया जावे।

अतः आपके अधीन समस्त संबंधितों को अग्रिम निर्देशों तक बॉयोमेट्रिक का उपयोग न करने एवं उक्त विसंक्रमण हेतु एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट (1% Hypochlorite) से दैनिक रूप से पोंछा (Mopping) करवाये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित करें।

06/03/20

(रोहित कुमार सिंह)
अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, समस्त विभाग, राजस्थान सरकार।
4. विभागाध्यक्ष, समस्त राजकीय विभाग, राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

06/03/20

अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0